न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2020

आदर्श को–ओपरेटीव बैंक लिमिटेड
शाखाः रोड, मदनगंज, किशनगढ–305801 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव पुत्र श्री कुन्ज बिहारी वैष्णव,
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(2) श्रीमति मोनिका पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(3) श्री अशोक कुमार वैष्णव पुत्र श्री कुन्ज बिहारी वैष्णव
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(4) श्री कुन्ज बिहारी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(5) श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री धन्नालाल यादव
पताः– पॉवर हाउस के पीछे, कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ अजमेर
(6) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्ण वैष्णव
पताः– महावीर कॉलोनी, सावंतसर, मदनगंज किशनगढ, अजमेर

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

आदेश दिनांक 16.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 04 को दिनांक 13 / 15.05.2013 को रू. 9,25,000 / – (अक्षरे नौ लाख पच्चीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर रेल्वे लाईन सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर राज0 मे स्थित अचल सम्पति प्लाट सं0 214, क्षैत्रफल 1170 वर्ग फीट, जिसका आवासीय पटटा संख्या 2682 है, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– पूर्व मेंः–नन्द किशोर व रामस्वरूप पुत्र पुरूषोत्तम जी का मकान, पश्चिमः–दामोदर दास व राम अवतार पुत्र लक्ष्मीनारायण का हिस्सा, उत्तर मेंः–आम रास्ता, दक्षिण मेः–देवकरण खाती व कैलाशचन्द भाट का मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.04.2016 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 19.05.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–8,01,274 / –(अक्षरे आठ लाख एक हजार दौ सौ चौहतर मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2020

आदर्श को–ओपरेटीव बैंक लिमिटेड
शाखाः रोड, मदनगंज, किशनगढ–305801 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव पुत्र श्री कुन्ज बिहारी वैष्णव,
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(2) श्रीमति मोनिका पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(3) श्री अशोक कुमार वैष्णव पुत्र श्री कुन्ज बिहारी वैष्णव
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(4) श्री कुन्ज बिहारी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण
पताः– जितेन्द्र सिजिंग के पीछे, सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ अजमेर
(5) श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री धन्नालाल यादव
पताः– पॉवर हाउस के पीछे, कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ अजमेर
(6) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्ण वैष्णव
पताः– महावीर कॉलोनी, सावंतसर, मदनगंज किशनगढ, अजमेर

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

आदेश दिनांक 16.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 04 को दिनांक 13 / 15.05.2013 को रू. 9,25,000 / – (अक्षरे नौ लाख पच्चीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर रेल्वे लाईन सुभाष कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर राज0 मे स्थित अचल सम्पति प्लाट सं0 214, क्षैत्रफल 1170 वर्ग फीट, जिसका आवासीय पटटा संख्या 2682 है, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– पूर्व मेंः–नन्द किशोर व रामस्वरूप पुत्र पुरूषोत्तम जी का मकान, पश्चिमः–दामोदर दास व राम अवतार पुत्र लक्ष्मीनारायण का हिस्सा, उत्तर मेंः–आम रास्ता, दक्षिण मेः–देवकरण खाती व कैलाशचन्द भाट का मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.04.2016 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 19.05.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–8,01,274 / –(अक्षरे आठ लाख एक हजार दौ सौ चौहतर मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner